कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक :– 403 दिनांक :– 05.02.2025

आदेश

मैं, प्रियंकर सिहाग, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 12(1) व 13(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप–2) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 27(क)(46)गृह–2/2024 जयपुर दिनांक 24 जनवरी, 2025 के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–46) की धारा–2(u) के अनुसरण में तथा इस बारे में इसको समर्थ बनाने वाली शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान सरकार एतद्द्वारा जिला जयपुर पूर्व (आयुक्तालय जयपुर) में **पुलिस थाना जामडोली** नवसृजित किये जाने के फलस्वरूप इस कार्यालय के प्रस्ताव क्रमांक 402 दिनांक 05.02.2025 को माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के पत्र क्रमांक 755 दिनांक 05.02.2025 में उल्लेखित अनुसार **अस्थायी रूप** से अनुमोदित किये जाने पर इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक 378 दिनांकित 04.02.2025 को अतिलंघित करते हुये माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2017 दिनांक 18.03.2017 एवं 01/पी.आई./2022 दिनांक 03.01.22 की अनुपालना में नवसृजित **पुलिस थाना जामडोली का क्षेत्राधिकार निम्न प्रकार अस्थायी रूप से** प्रदत्त किया जाता है:–

क्र0 सं0	नाम न्यायालय, जिसके पास वर्तमान में क्षेत्राधिकार है।	प्रदत्त किये जाने हेतु क्षेत्राधिकार का विवरण।	नाम न्यायालय जिसे क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।	विशेष टिप्पणी
1.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र **जामडोली (राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.01.2025 के स्थानीय क्षेत्राधिकार क्रम संख्या–9 को छोड़कर)** के भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित प्रकरण, 60 पुलिस एक्ट, अनैतिक देह व्यापार प्रतिषेध अधिनियम (पीटा एक्ट), महिला अशिष्ट रूपण निवारण अधिनियम, वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट, आई0 टी0 एक्ट से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम।	कानोता थाना क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा हटाकर जामडोली थाने में सम्मिलित करने तथा कानोता थाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार भी वर्तमान में बस्सी मुख्यालय स्थित न्यायालय में होने के कारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम को क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।
2.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र **जामडोली (राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.01.2025 के स्थानीय क्षेत्राधिकार क्रम संख्या–9 की हद तक)** के भारतीय न्याय संहिता से सम्बन्धित प्रकरण, 60 पुलिस एक्ट, अनैतिक देह व्यापार प्रतिषेध	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–16, जयपुर महानगर प्रथम।	खो–नागोरियान थाना क्षेत्र का कुछ हिस्सा हटाकर जामडोली थाने में सम्मिलित करने तथा खो–नागोरियान थाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार भी वर्तमान में जयपुर मुख्यालय स्थित न्यायालय में होने के कारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–16,

05.02.25
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-प्रथम

		अधिनियम (पीटा एक्ट), महिला अशिष्ट रूपण निवारण अधिनियम, वाईल्ड लाईफ प्रोटेक्शन एक्ट, आई0 टी0 एक्ट से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।		जयपुर महानगर प्रथम को क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।
3.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र जामडोली **जामडोली (राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.01.2025 के स्थानीय क्षेत्राधिकार क्रम संख्या–9 को छोड़कर)** की सीमा क्षेत्र में उद्भूत धारा 138 एन.आई एक्ट एवं 25 पी एस एक्ट से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम।	कानोता थाना क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा हटाकर **जामडोली** थाने में सम्मिलित करने तथा कानोता थाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार वर्तमान में बस्सी मुख्यालय स्थित न्यायालय में होने के कारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम को क्षेत्राधिकार प्रदत्त गया है।
4.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र जामडोली **जामडोली (राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.01.2025 के स्थानीय क्षेत्राधिकार क्रम संख्या–9 की हद तक)** की सीमा क्षेत्र में उद्भूत धारा 138 एन.आई एक्ट एवं 25 पी एस एक्ट से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–16, जयपुर महानगर प्रथम।	खो–नागोरियान थाना क्षेत्र का कुछ हिस्सा हटाकर जामडोली थाने में सम्मिलित करने तथा खो–नागोरियान थाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार भी वर्तमान में जयपुर मुख्यालय स्थित न्यायालय में होने के कारण न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–16, जयपुर महानगर प्रथम को क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।
5.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र **जामडोली (राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.01.2025 के स्थानीय क्षेत्राधिकार क्रम संख्या–9 को छोड़कर)** की सीमा में उद्भूत होने वाले राजस्थान आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम।	कानोता थाना क्षेत्र का अधिकांश हिस्सा हटाकर **जामडोली** थाने में सम्मिलित करने, कानोता थाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार वर्तमान में बस्सी मुख्यालय स्थित न्यायालय में होने एवं बस्सी मुख्यालय स्थित समस्त आरक्षी केन्द्रों में उद्भूत होने वाले राजस्थान आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार, भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु जिस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदत्त है, उसी न्यायालय को आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदत्त होने के कारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम को क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।

05.02.25
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-प्रथम

6.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र **जामडोली (राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.01.2025 के स्थानीय क्षेत्राधिकार क्रम संख्या–9 की हद तक)** की सीमा में उद्भूत होने वाले राजस्थान आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित समस्त प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार।	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–10, जयपुर महानगर प्रथम।	खो–नागोरियान थाना क्षेत्र का कुछ हिस्सा हटाकर **जामडोली** थाने में सम्मिलित करने, खो–नागोरियान थाने का न्यायिक क्षेत्राधिकार वर्तमान में जयपुर मुख्यालय स्थित न्यायालय में होने एवं जयपुर मुख्यालय स्थित समस्त आरक्षी केन्द्रों में उद्भूत होने वाले राजस्थान आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार, भारतीय न्याय संहिता से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई हेतु जिस न्यायालय को क्षेत्राधिकार प्रदत्त है, उसी न्यायालय को आबकारी अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई का क्षेत्राधिकार प्रदत्त होने के कारण न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–10, जयपुर महानगर प्रथम को क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।
7.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र **जामडोली (राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.01.2025 के स्थानीय क्षेत्राधिकार क्रम संख्या–9 को छोड़कर)** की सीमा में आरक्षी केन्द्र **जामडोली** व यातायात पुलिस द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार।	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम।	जयपुर महानगर प्रथम के बस्सी मुख्यालय स्थित जिन न्यायालयों में आरक्षी केन्द्रों के फौजदारी प्रकरणों का न्यायिक क्षेत्राधिकार प्रदत्त है, उन्हीं न्यायालयों को संबंधित आरक्षी केन्द्रों तथा उन आरक्षी केन्द्रों की सीमा में यातायात पुलिस द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार प्रदत्त है। इसी क्रम में आरक्षी केन्द्र **जामडोली (अधिसूचना के क्रम–9 को छोड़कर)** की सीमा में जामडोली आरक्षी केन्द्र व यातायात पुलिस द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटर यान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–15, बस्सी, जयपुर महानगर प्रथम को क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।
8.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र **जामडोली (राजस्थान सरकार की अधिसूचना दिनांक 24.01.2025 के स्थानीय क्षेत्राधिकार क्रम संख्या–9**	न्यायिक मजिस्ट्रेट, क्रम–13, जयपुर महानगर प्रथम।	पूर्व में जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के पुलिस उपायुक्त पूर्व सीमा में स्थित आरक्षी केन्द्रों, यातायात पुलिस द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटर यान अधिनियम से

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जयपुर महानगर-प्रथम

		की हद तक) की सीमा में आरक्षी केन्द्र **जामडोली व** यातायात पुलिस द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार।		संबंधित प्रकरणों का क्षेत्राधिकार न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–13, जयपुर महानगर प्रथम को प्रदत्त होने के कारण न्यायालय, न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–13, जयपुर महानगर प्रथम को क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।
9.	नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने के कारण प्रथम बार क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया जा रहा है।	आरक्षी केन्द्र **जामडोली** की सीमा में परिवहन विभाग द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार।	न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम–13, जयपुर महानगर प्रथम।	पूर्व में जयपुर महानगर प्रथम न्यायक्षेत्र के पुलिस उपायुक्त पूर्व व दक्षिण की सीमा क्षेत्र में परिवहन विभाग जयपुर द्वारा दर्ज किये जाने वाले मोटरयान अधिनियम से संबंधित प्रकरणों की सुनवायी का क्षेत्राधिकार न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–13 जयपुर महानगर प्रथम को प्रदत्त होने से न्यायालय महानगर मजिस्ट्रेट क्रम–13 जयपुर महानगर प्रथम को क्षेत्राधिकार प्रदत्त किया गया है।

नोट :–

1. उपरोक्त क्षेत्राधिकार के अतिरिक्त ऐसा क्षेत्राधिकार, जिसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं हो या उपरोक्त आदेश में अंकित नहीं हो, का क्षेत्राधिकार न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम को प्रदत्त रहेगा।

2. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2017 दिनांक 18.03.2017 की अनुपालना में कार्य की प्रकृति के अनुसार विचाराधीन प्रकरणों की संख्या एवं कार्य समानीकरण को दृष्टिगत रखते हुये नवसृजित आरक्षी केन्द्र होने तथा आदि तथ्यों के आधार पर एवं माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम के आदेश की अनुपालना में जामडोली थाने का उपरोक्त वर्णित **क्षेत्राधिकार अस्थायी रूप से** प्रदत्त किया गया है। परिपत्र की अनुपालना में क्षेत्राधिकार प्रदत्त करने की आवश्यकता का विवरण उपरोक्तानुसार कॉलम संख्या 05 में अंकित किया गया है तथा इस आदेश की प्रति माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को प्रेषित कर निवेदन किया गया है कि माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2017 दिनांक 18.03.2017 की अनुपालना में इस आदेश की प्रति श्रीमान्जी की टिप्पणी के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को प्रेषित करने की कृपा करें।

3. **यह आदेश आज दिनांक 06.02.2025 से तुरन्त प्रभाव से प्रभावी किया जाता है।**

05.02.25

(प्रिंकर सिंहाग)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित है:–

क्रमांक :– 404 to 418 दिनांक :– 5/2/2025

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर के परिपत्र क्रमांक 05/पी.आई./2017 दिनांक 18.03.2017 की अनुपालना में इस आदेश की प्रति श्रीमान् जी की टिप्पणी के साथ माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को प्रेषित किये जाने हेतु व एक प्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।
2. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय/जयपुर जिला
3. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
4. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय/जयपुर जिला
5. श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
6. श्रीमान पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर

7. समस्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन0आई0ऐक्ट केसेज), जयपुर, महानगर प्रथम।
8. सहायक निदेशक, अभियोजन, प्रथम, जयपुर महानगर।
9. उपायुक्त पुलिस पूर्व/दक्षिण/मुख्यालय/यातायात/जयपुर ग्रामीण
10. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलैक्ट्रेट/बस्सी/सांगानेर/चाकसू, जयपुर महानगर प्रथम
11. पुलिस उपायुक्त पूर्व व दक्षिण के समस्त आरक्षी केन्द्र।
12. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम को आदेश को जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने के निर्देश के साथ प्रेषित है।
13. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किये जाने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड।
15. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली

05.02.25

(प्रियंकर सिहाग)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम

कार्यालयः मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर प्रथम

क्रमांक :– 459 दिनांक :– 12.2.25

शुद्धि पत्र

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 403 दिनांक 05.02.2025 के पृष्ठ संख्या 04 में अंकित नोट की क्रम संख्या 3 में ''यह आदेश आज दिनांक 06.02.2025 से तुरन्त प्रभाव से प्रभावी किया जाता है'' अंकित किया गया है। उक्त पंक्ति में शब्द ''आज'' को हटाया जाता है। पंक्ति को ''यह आदेश दिनांक 06.02.2025 से तुरन्त प्रभाव से प्रभावी किया जाता है'' पढ़ा जावे।

आदेश क्रमांक 403 दिनांक 05.02.2025 इस हद तक संशोधित समझा जावें।

–Sd–
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु निम्न को प्रेषित हैः–

क्रमांक :– 460 to 474 दिनांक :– 12/2/2025

1. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर प्रथम
2. माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर द्वितीय/जयपुर जिला
3. श्रीमान् जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर
4. श्रीमान् मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जयपुर महानगर द्वितीय/जयपुर जिला
5. श्रीमान महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर
6. श्रीमान पुलिस आयुक्त, जयपुर महानगर
7. समस्त अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट/न्यायिक मजिस्ट्रेट/विशिष्ट न्यायिक मजिस्ट्रेट (एन0 आई0 एक्ट केसेज), जयपुर महानगर प्रथम।
8. सहायक निदेशक, अभियोजन–प्रथम, जयपुर महानगर।
9. उपायुक्त पुलिस पूर्व/दक्षिण/मुख्यालय/यातायात/जयपुर ग्रामीण
10. दी बार एसोसिएशन, बनीपार्क/कलेक्ट्रेट/बस्सी/सांगानेर/चाकसू, जयपुर महानगर प्रथम
11. पुलिस उपायुक्त पूर्व व दक्षिण के समस्त आरक्षी केन्द्र।
12. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय, जयपुर महानगर प्रथम
13. पुलिस कण्ट्रोल रूम, जयपुर महानगर को समस्त आरक्षी केन्द्रों को सूचित किये जाने हेतु।
14. नोटिस बोर्ड।
15. आदेश पत्रावली/सम्बन्धित पत्रावली

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
जयपुर महानगर प्रथम